पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

1864
पटना नगरपालिका
CITY OF PATNA

Letter No. /पत्रांक: 11834

Date /दिनांक: 24/07/2024

संचिका सं0– P/BIGRAHPUR/PRN-1B+G+6/767/2023
Application No.-PMC-BPAS-01770/2023/BP

सेवा में,

VASUDHA CONSTRUCTION
(1) SMT. DIVYA JYOTI W/O-SRI BIRENDRA PRASAD YADAV
(2) SRI ANIL KUMAR S/O-LATE MATHURA PRASAD SHARMA
ADD.-FLAT NO-G1, GROUND FLOOR, BLOCK-C, SHIVAM ENCLAVE,
ANANDPURI, WEST BORING CANAL ROAD, PATNA-01

विषय :– **प्लॉन केस सं0–P/BIGRAHPUR/PRN-1B+G+6/767/2023 ऑटो मैप आवेदन संख्या–PMC-BPAS-01770/2023/BP की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन संख्या–P/BIGRAHPUR/PRN-1B+G+6/767/2023 ऑटो मैप आवेदन संख्या–PMC-BPAS-01770/2023/BP के संदर्भ में **VASUDHA CONSTRUCTION,** (1) SMT. DIVYA JYOTI W/O-SRI BIRENDRA PRASAD YADAV (2) SRI ANIL KUMAR S/O-LATE MATHURA PRASAD SHARMA, ADD.-FLAT NO-G1, GROUND FLOOR, BLOCK-C, SHIVAM ENCLAVE, ANANDPURI, WEST BORING CANAL ROAD, PATNA-01, पटना के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के सर्वे प्लॉट सं०–118(P), खाता सं०–15, थाना सं०–22, मौजा–BIGRAHPUR, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्त्तों/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से **आवासीय–सह–व्यवसायिक** प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगो को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **935.80 वर्ग मीटर** का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **31.15 मीटर** चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को **शून्य** वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) भवन उपविधि के कंडिका–09 के तहत नक्शा निर्गत करने में विलम्ब की पूरी जिम्मेवारी आवेदक/आर्किटेक्ट/बिल्डर की होगी।
Permission granted under section-9 of building bye laws shall remain valid up to five years from the date such a permission is granted.

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी ।

VASUDHA CONSTRUCTION
Divya Jyoti
PARTNER

VASUDHA CONSTRUCTION
Anil Kumar
PARTNER

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू–अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू–स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर–फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ट) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता/विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जबाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ठ) Environmental Protection Act. के तहत् बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ड) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules) 2016 का अनुपालन किया जाय।

(ढ़) ग्रीन–एरिया का प्रावधान बिहार भवन उप–विधि, 2014 के कंडिका–32 के अनुरुप निर्माण परिसर में किया जाना अनिवार्य होगा।

(ण) नक्शा स्वीकृति के पश्चात् एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ करने तथा निर्माण कार्य के समय निर्माण स्थल को ढक कर रखेंगे तथा निर्माण सामग्री सड़क अथवा सार्वजनिक स्थल पर नहीं रखेंगे।

(त) आपके द्वारा निर्माता निबंधन के संबंध में नक्शा स्वीकृति के दौरान शपथ–पत्र संख्या–223 दिनांक–11.07.2024 के माध्यम से उद्घोषणा की गई है कि:–

यह कि मेरे/हमलोग के भू–खण्ड का रकवा 500 वर्गमीटर से ज्यादा होने के कारण निर्माता निबंधन की जानकारी नक्शा स्वीकृति के लिए माँगी गई है।

यह कि मेरे/हमलोगों के द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को निर्माता निबंधन के लिए आवेदन किया गया है, जो अभि तक अप्राप्त है। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा निर्माता निबंधन हो जाने पर पटना नगर निगम, शहरी योजना शाखा को जमा कर दूँगा। निर्माता निबंधन 06 (छः) माह के भीतर मेरे/हमलोग के द्वारा जमा नहीं किये जाने पर पटना नगर निगम द्वारा स्वीकृत किया गया मेरा/हमलोगों का नक्शा स्वतः रद्द समझा जाएगा। तदोपरान्त उक्त परिस्थिति में पटना नगर निगम/सक्षम प्राधिकार के द्वारा मेरे/हमारे भवन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी।

उक्त शर्त्तों का अनुपालन नहीं किये जाने पर विधित सम्मत कार्रवाई की जायेगी तथा स्वीकृत नक्शे को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

23/07/24

निदेशक,
शहरी योजना,
पटना नगर निगम, पटना।

VASUDHA CONSTRUCTION
Divya Jyoti
PARTNER

VASUDHA CONSTRUCTION
Anil Kumar
PARTNER